

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या : 849-कार्य / चौदह-पाकालि / 2008-47-के / 2008 दिनांक: अगस्त 26, 2008

कार्यालय ज्ञाप

समस्त विद्युत वितरण निगमों एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि० के अन्तर्गत बिजनेस प्लान के क्रियान्वयन के लिए प्रोफेशनल विशेषज्ञों के चयन हेतु एतद्वारा उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० (मुख्यालय) स्तर पर एक संयुक्त समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1. अध्यक्ष, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० ।
3. समस्त प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम / केस्को-कानपुर ।
4. निदेशक, (का० प्र० एवं प्रशा०) / वितरण, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० ।
5. प्रोफेशनल विशेषज्ञों के चयन हेतु प्रत्येक पैनेल के लिये अध्यक्ष द्वारा नामित एक विशेषज्ञ ।

प्रोफेशनल विशेषज्ञों के चयन हेतु उनको प्रदान किये जाने वाले पैकेज / मापदण्ड / अर्हताएं एवं आयु निम्नवत् होंगी :-

(अ) पैकेज :-

1. समेकित वेतन रूपये 80,000.00 प्रति माह ।
2. अधिकतम रु० 15,000.00 प्रतिमाह की दर से आवास की सुविधा उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी ।
3. उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा वाहन की सुविधा भी उपलब्ध करायी जायेगी ।

(ब) मापदण्ड एवं अर्हताएं :-

कार्य विवरण	शैक्षिक अर्हतायें	अनुभव
1. बिलिंग एवं एनर्जी एकाउन्टिंग	आई०आई०टी० (इलेक्ट्रिकल) / कम्प्यूटरानिक्स) वरीयता-एम०ई० / एम०टेक	ऊर्जा क्षेत्र में समान कार्य हेतु 7 वर्ष
2. पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप एवं फ्रेंचाइजी	एम०बी०ए० वरीयता-आई०टी०	कम से कम एक राज्य में वितरण क्षेत्र में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप योजनाओं का क्रियान्वयन, अनुभव 7 वर्ष ।
3. मीटरिंग एवं एनर्जी आडिट	आई०आई०टी० (इलेक्ट्रिकल) / आई०आई०टी० वरीयता-एम०ई० / एम०टेक	ऊर्जा क्षेत्र में समान कार्य हेतु 7 वर्ष
4. सूचना प्रौद्योगिकी	सूचना प्रौद्योगिकी में आई०आई०टी० से स्नातक डिग्री अथवा एम०बी०ए०	10 वर्ष जिसमें से ऊर्जा क्षेत्र में समान कार्य हेतु कम से कम 5 वर्ष
5. मानव संसाधन, प्रशिक्षण एवं पुनर्गठन	एम०बी०ए० (एच०आर०) वरीयता-एम०एस०डब्लू० एच०आर० में पोस्ट ग्रेजुएट	10 वर्ष जिसमें से ऊर्जा क्षेत्र में समान कार्य हेतु कम से कम 5 वर्ष

6	इनवेस्टमेंट प्लान एवं फाइनेंशियल मैनेजमेंट	सी०ए०/आई०सी०डब्लू०ए० वरीयता-एम०बी०ए०/आई०टी०	7 वर्ष जिसमें से ऊर्जा क्षेत्र में समान कार्य हेतु कम से कम 5 वर्ष
---	---	--	--

(स) विशेषज्ञों की निर्धारित आयु :-

आयु:- 35 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होगी।

(द) प्रोफेशनल विशेषज्ञों का चयन समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कर नियमानुसार सामान्यतः 3 वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा।

अध्यक्ष

संख्या: 849(1)-कार्य-चौदह/पाकालि/2008 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष से सम्बद्ध प्रमुख निजी सचिव, उ० प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध निजी सचिव, उ० प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/
पश्चिमांचल/ लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/केस्को-कानपुर।
5. समस्त निदेशकगण (का० प्र० एवं प्रशा०)/वितरण/पारेषण/वित्त, उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति
भवन, लखनऊ।
6. मुख्य महाप्रबन्धक(का०प्र०- I/ II)/महाप्रबन्धक- III, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. श्री ए०के० अग्रवाल, मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा) उ० प्र० पा० का० लि०, शक्ति
भवन, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (लेखा)/उपमुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, उ० प्र० पा० का० लि०।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर- I/ II) वितरण/पारेषण, उ०प्र०पा०का०लि०।
10. कम्पनी सचिव, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/
पश्चिमांचल/ लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/केस्को-कानपुर।
11. कम्पनी सचिव, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के पत्र संख्या
346/पाकालि/बैठक (74)/2008 दिनांक 24.5.2008 के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,

[Signature] 26/10/08

(पी०के० माहेश्वरी)
संयुक्त सचिव(कार्य)